# न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ (राज.)
## पीठासीन अधिकारी,नारायण सिंह चारण आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 74/2014 (नि.पं.) दायर दिनांक 15.12.2014

श्री किशनलाल पिता गांगा गाडरी, निवासी बडवई तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

**निगराकार/प्रार्थी**

**बनाम**

1. श्री कालू पिता गोदा गाडरी, निवासी बडवई, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
2. ग्राम पंचायत बडवई जरिये सरपंच ग्राम बडवई पंचायत समिति डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ ।

**–गैर निगराकार/(अप्रार्थीगण)**

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आबादी भूमि में निहित पुराने गृहों का पट्टा क्रमांक 839 अंतर्गत नियम 157 राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 पुराने गृहों का विनियमितिकरण पट्टा विलेख दिनांक 20.12.2007

उपस्थित :– श्री मनोहरलाल दक, अधिवक्ता – निगराकार

**निर्णय** दिनांक 14.02.2018

उपरोक्त अनवान प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत बडवई द्वारा जारी पट्टा संख्या 839 आबादी भूमि में निहित पुरानें गृहों का पट्टा जो गैर निगराकार संख्या 01 ने ग्राम पंचायत से मिलकर फर्जी तैयार करवाया है, कालूलाल के पिता का नाम गांगा जी नही है। कालू लाल के पिता का नाम गोदा जी है और उसने अपने आपको सभी जगह गोदा जी का पुत्र ही प्रकट किया गया है अैर इस पट्टे के संबंध में पंचायत द्वारा जो पत्रावली दायर की थी वह पत्रावली दिनांक 20.10.2007 को दायर करना प्रकट किया है और जिसकी फैसल दिनांक 20.12.2007 को किया जाना प्रकट किया है। दिनांक 20.10.2007 को आवेदन प्रार्थी कालूलाल की ओर से प्रस्तुत किया वह आवेदन पत्र पंचायत की मिसल में संलग्न है, ऐसा कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत होना जाहिर नहीं हुआ एवं जो पर्चा मौका मय

नजरी नक्शा निरीक्षण रिपोर्ट होना कहा गया वह भी ऐसा कोई पर्चा मौका निरीक्षण रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अतः यह नही कहा जा सकता कि किसी भांति कोई पर्चा मौका नजरी नक्शा व निरीक्षण रिपोर्ट वास्तविकता में बनी हो और किसके द्वारा बनायी गयी यह स्पष्ट नही है। पत्रावली में एक माह का आपत्ति पत्र प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख आया है किन्तु जो नोटिस जारी किया गया वह नोटिस किसी भूमि विक्रय के संबंध में आपत्ति का है और ऐसा कोई नोटिस पंचायत द्वारा जारी नही किया गया है कि पुराने गृहों का विनियमितिकरण नियम 197 के तहत् किया जाना हो बल्कि भूमि विक्रय हेतु आक्षेप आंमत्रित किये गये है एवं नोटिस मे कांट–छांट कर पैतृक मकान का बापी पट्टा जारी करने का नोटिस लिख दिया है। इस नोटिस से यह स्पष्ट है कि कालूलाल ने भूमि क्रय करने के लिए आवेदन किया है। यह नोटिस पंचायत द्वारा कब जारी किया गया, ऐसी कोई तारीख भी अंकित नही है। इस संबध में पंचायत द्वारा व्यापक नोटिस की सूचना हेतु समाचार पत्र में प्रकाशन किया जाना आवश्यक था किन्तु ऐसा कोई भी आक्षेप हेतु नोटिस का समाचार पत्र में भी प्रकाशन नही किया गया। नोटिस पर पंचायत की कोई मोहर भी अंकित नही है और सबसे बडी बात पत्रावली में जो कालू लाल का शपथ पत्र संलग्न है वह शपथ पत्र दिनांक 01.02.2008 का है। इससे भी यह स्पष्ट है कि जो शपथ पत्र प्रस्तुत है उससे पहले ही दिनांक 20.12.2007 को पंचायत ने पट्टा किस प्रकार जारी किया यह समझ से परे है क्योंकि जो शपथ पत्र कालूलाल ने दिनांक 01.02.2008 को प्रस्तुत किया है उसमें स्पष्ट रूप से यह वर्णित किया है कि मुझ शपथकर्ता को पट्टे की आवश्यकता है सो नियमानुसार शुल्क जमा कर मुझ शपथकर्ता को बापी पट्टा दिलाया जाए, इससे स्पष्ट है कि दिनांक 01.02.2008 तक भी किसी भांति कोई पट्टा जारी नही किया गया किन्तु पट्टा दिनांक 20.12.2007 को है तो उससे पहले किस भांति शुल्क जमा हो गया यह संभव नही है। यह सारा रिकार्ड ही फर्जी तैयार किया है और गलत रूप से मिथ्या साक्ष्य बनाने की दृष्टि से यह पट्टा फर्जी तैयार किया गया है। निगराकारकर्ता ने न्यायालय

सिविल न्यायाधीश (क.ख)डूंगला में एक वाद पत्र दिनांक 13.02.2008 को उक्त विवादित भूखण्ड के संबधं में स्थायी एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है ओर उस वाद के अनुसार उक्त वादग्रस्त संपति स्व. गांगा जी की सम्पति थी और गांगा जी ने जब प्रार्थी को वह 6–7 वर्षो का था, गोद लिया और गोद लेने के 01 वर्ष बाद ही गांगा जी की मृत्यु हो गयी थी, जिस पर समाज के पंचों ने निगराकर्ता को छोटा होने की वजह से निगराकर्ता किशन लाल व गैर निगराकार कालू लाल दोनों को पगडी बंधवायी ओर उक्त भूखण दोनों के रखें और इस भांति उस भूखण्ड पर दोनो का आधा–आधा भाग पर कब्जा चला आ रहा था और जब गैर निगराकार कालू लाल ने उस विवादित भूखण्ड पर नीवें खोदकर निर्माण करना चाहा तो निगराकर्ता ने वादी बनकर कालूलाल के विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किया जो वाद पत्र संख्या 06/2008 सी.ओ. होकर न्यायालय में लम्बित है और उस न्यायालय में प्रतिवादी कालू की और से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसने अपने पिता का नाम गोदा जी अंकित किया है एवं बयान में भी अपने पिता का नाम गोदा जी अंकित किया है। इतना ही नही यदि यह पट्टा दिनांक 20.12.2007 को पंचायत द्वारा गैर निगरानीकर्ता कालूलाल के पक्ष में जारी कर दिया होता तो न्यायालय में जो वादोत्तर कालू लाल की और से दिनांक 12.05.2008 को प्रस्तुत हुआ उसमें इस पट्टे के संबंध में हवाला दिया होता। न्यायालय में कालूलाल द्वारा बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें भी पट्टे का कोई हवाला नही दिया है। कालूलाल के जिरह के दौरान भी यह स्वीकार किया की गांगा बा मरे तब पगडी मेरे व किशनलाल दोनो के बंधवाई थी। जो मकान बने हुए है जो गांगा जी के जीते समय के बने हुए है। इस बयान पर कालूलाल द्वारा पट्टे का कोई हवाला नही दिया गया जिससे यह स्पष्ट है कि यह पट्टा फर्जी तरीके से बनाकर एकाएक न्यायालय में काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत बडबई, तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ़ का आबादी भूमि में निहीत पुराने गृहों का पट्टा संख्या 839 अन्तर्गत नियम 157 राजस्थान पंचायत राज नियम 1956

पुराने गृहों का विनियमितिकरण पट्टा विलेख दिनांक 20.12.2007 को निरस्त करने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किये गये। प्रकरण पर विपक्षीगण के अनुपस्थित रहने से दिनांक 21.01.2015 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा दो तरफा कार्यवाही प्रार्थना पत्र दिनांक 30.09.2015 को प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 01.02.2018 को पुनः अनुपस्थित रहने पर दो तरफा कार्यवाही प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

प्रकरण पर बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई जिसमें वकील प्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत बडबई ने राजस्थान पंचायत राज नियम 1956 के नियम 157 में पट्टा दिनांक 20.12.2007 को जारी किया गया। 50 वर्ष पुराने मकान के आधार पर पट्टा जारी किया गया। कालू पिता गांगा को पट्टा जारी किया गया जबकि कालू के पिता गोदा है। यह सम्पति गांगा की थी। गांगा ने किशन लाल को गोद लिया था। गांगा के फोत होने पर पगडी कालू व किशन दोनों के बंधवाई थी। आधा–आधा मकान दोनों के कब्जे में चला आ रहा था। पंचायत की पत्रावली में कागज है सूची कागजात से नोटशीट में आवेदन पेश हुआ लिखा गया किन्तु पत्रावली में कोई प्रार्थना पत्र या आवेदन नही है। मौका पर्चा बनाने का उल्लेख है किन्तु ऐसा कोई मौका पर्चा नही बनाया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट पेश हुई जो नोटशीट में लिखा है किन्तु कोई निरीक्षण रिपोर्ट पेश नही हुई है। आक्षेप आमत्रिंत करने के नोटिस पर कोई दिनांक अंकित नही है व इससे क्रय करने के लिये आवेदन का उल्लेख है जबकि यह पुराने गृहों का पट्टा जारी किया गया है। नोटिस कहां चस्पा किया गया इसकी कोई रिपोर्ट नही है। फाईल पर एक शपथ पत्र श्री कालूलाल का है जो दिनांक 01.02.2008 का है जबकि पट्टा दिनांक 20.12.2007 को जारी हुआ है तो बाद का शपथ पत्र कैसे है। यह पट्टा पहले ही तैयार कर लिया था। यह शपथ पत्र प्रस्तुत के साथ केसे आ सकता है। इन्ही पक्षकारों में इसी सम्पति को लेकर सिविल कोर्ट में भी किशनलाल ने कालू के

विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया था। कालू ने इस दावें मे कहीं भी पट्टे का उल्लेख नही किया है इससे अपने शपथ पत्र में अपना नाम कालू पिता गोदा बताया है व पट्टा कालू पिता गांगा के नाम जारी करवाया है। आगे बयानों में क्रॉस में यह कहा है कि गांगा बा मरे तब पगडीया भैरा व किशनलाल दोनों के बंधवाई थी। आज जो मकान बने हुए है वो गांगा बा के समय के बने हुए है। इससे पूर्व आधी–आधी जमीन दोनों के आने की बात कहता है। कही भी इन बयानों ने दावें में इस पट्टे का उल्लेख नही आया है। अतः उस समय यह पट्टा नही था। दिनांक 27.09.2014 को इस दावें में पहली बार ऑर्डर 8 रूल 1(3) अन्तर्गत पट्टा साक्ष्य में प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत आवेदन पेश किया जो खारिज हो चुका है। हमें इसकी जानकारी होते ही हमने यह निगरानी पेश की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे को निरस्त किया जावें।

प्रकरण पर वकील प्रार्थी बहस एक तरफा सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन किया गया जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के सबंध में संधारित पत्रावली की सही प्रतिलिपि प्रस्तुत की जिसमें फर्द अहकाम/आज्ञा सूचि दिनांक 20.10.2007 को श्री कालू पिता गांगा का आवेदन पत्र पेश करने बताया गया परन्तु पत्रावली पर आवेदन पत्र संलग्न नही है तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर बिना सील मोहर के अंकित है परन्तु किस दिनांक को नोटिस जारी कर आक्षेप किस दिनांक तक प्राप्त किये गये इसका उल्लेख नही है तथा नोटिस में दर्ज विवरण अनुसार भूमि विक्रय करने से संबंधित तथ्य लिखे गये है परन्तु पट्टा पैतृक आवास का जारी किया गया है। अनुसूची अनुसार पट्टा दिनांक 05.12.2009 को जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई परन्तु पट्टा क्रमांक 839 दिनांक 20.12.2007 को ही जारी किया गया। विपक्षी संख्या 01 द्वारा शपथ पत्र दिनांक 01.02.2008 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया जबकि पट्टा दिनांक 20.12.2007 को जारी हो चुका था।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के संबंध में की गई कार्यवाही नियमों के विपरीत एवं संदिग्ध पायी जाती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बडवई पंचायत समिति डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 839 दिनांक 20.07.2007 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन),चित्तौड़गढ